Act No. 9 of 2014

2013 का विधेयक संख्यांक 40

हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2013

(विधान सभा द्वारा यथापारित)

हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2013

खण्डों का क्रम

खण्डः

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ।
2. धारा 10 का संशोधन ।
3. धारा 21 का संशोधन ।
4. 2013 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 5 का निरसन और व्यावृत्तियाँ ।

हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2013

(विधानसभा द्वारा यथापारित)

हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 (1976 का अधिनियम संख्यांक 23) का और संशोधन करने के लिए **विधेयक।**

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह 3 अक्तूबर, 2013 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

धारा 10 का संशोधन ।

1976 का 23

2. हिमाचल प्रदेश न्यायालय अधिनियम, 1976 (जिसे इसमें इसके पश्चात् "मूल अधिनियम" कहा गया है) की धारा 10 में, "पन्द्रह लाख" शब्दों के स्थान पर "तीस लाख" शब्द रखे जाएंगे।

धारा 21 का संशोधन।

3. मूल अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) के खण्ड (क) में, "दस लाख" शब्दों के स्थान पर "बीस लाख" शब्द रखे जाएंगे।

2013 के हिमाचल प्रदेश अध्यादेश संख्यांक 5 का निरसन और व्यावृत्तियाँ।

4. (1) हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) अध्यादेश 2013 का एतद्द्वारा निरसन किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई समझी जाएगी।

यह विधेयक विधान सभा द्वारा पारित किया गया है ।

अध्यक्ष,
विधान सभा, शिमला

शिमला–171 004
दिनांक : 13–02–2014

मैं इस विधेयक पर अनुमति देता हूँ

राज्यपाल ।
हिमाचल प्रदेश

शिमला–171 002
दिनांक : 2–3–2014

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

BILL NO. 40 OF 2013

THE HIMACHAL PRADESH COURTS (AMENDMENT) BILL, 2013

(AS PASSED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

THE HIMACHAL PRADESH COURTS (AMENDMENT) BILL, 2013

ARRANGEMENT OF CLAUSES

Clauses:

1. Short title and commencement.
2. Amendment of section 10.
3. Amendment of section 21.
4. Repeal of H.P. Ordinance No. 5 of 2013 and savings.

Bill No. 40 of 2013

THE HIMACHAL PRADESH COURTS (AMENDMENT) BILL, 2013

(AS PASSED BY THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Courts Act, 1976 (Act No. 23 of 1976).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Sixty-fourth Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Courts (Amendment) Act, 2013. Short title and commencement.

(2) It shall be deemed to have come into force on 3rd day of October, 2013.

23 of 1976. **2.** In section 10 of the Himachal Pradesh Courts Act, 1976 (hereinafter referred to as the "principal Act"), for the words "fifteen lakh", the words "thirty lakh" shall be substituted. Amendment of section 10.

3. In section 21 of the principal Act, in sub-section (1), in clause (a), for the words "ten lakh", the words "twenty lakh" shall be substituted. Amendment of section 21.

4. (1) The Himachal Pradesh Courts (Amendment) Ordinance, 2013 is hereby repealed. Repeal of H.P. Ordinance No. 5 of 2013 and savings.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the Ordinance so repealed shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

मैं, "हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 40)" के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने कि लिए प्राधिकृत करती हूं ।

राज्यपाल,
हिमाचल प्रदेश ।
हिमाचल प्रदेश

राज्यपाल ने "हिमाचल प्रदेश न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2013 (2013 का विधेयक संख्यांक 40)" के उपर्युक्त अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है ।

चिराग भानु सिंह
प्रधान सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार ।